राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1815/2017

भावना बोहरा पत्नी श्री भरत कुमार, निवासी दरवाजे के पास, भंडार, तहसील-बाली, जिला-पाली।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य कलेक्टर, पाली के माध्यम से।
2. उप निदेशक, एकीकृत बाल विकास योजना, पाली।
3. परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास योजना, पाली।
4. विकास अधिकारी, पाली
5. सरपंच, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति बाली, जिला-पाली राजस्थान

---- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री हार्दिक गौतम

प्रतिवादीगणओं के लिए : कोई नहीं

माननीय श्री न्यायाधीश अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

13/11/2024

1. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए इच्छुक याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष ग्राम पंचायत, भंडार-I, तहसील बाली, जिला पाली (प्रतिवादीगण संख्या 5) की ओर से तीन महीने के भीतर चयन सूची सक्षम प्राधिकारी को न बताने के कारण निष्क्रियता का आरोप लगाया है। इस निष्क्रियता के कारण उसे नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया, जबकि उसे चयन सूची में सबसे योग्य उम्मीदवार घोषित किया गया था, जिसमें वह क्रमांक 1 पर थी।

2. संक्षेप में, याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1 प्रतिवादी संख्या 2 ने भंडार-I, तहसील बाली, जिला पाली सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका आदि के पदों पर नियुक्ति के लिए राज्य

(Downloaded on 28/05/2025 at 10:05:28 AM)

सरकार की नीति के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए दिनांक 09.06.2016 को एक अधिसूचना जारी की। याचिकाकर्ता ने इसके लिए आवेदन किया।

2.2 कुल 21 अभ्यर्थी थे, लेकिन केवल तीन अभ्यर्थी ही पात्र पाए गए। तीनों में से केवल याचिकाकर्ता का चयन ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 28.11.2016 को आयोजित बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या 3 के अनुसार किया गया। चयन के बाद ग्राम पंचायत ने याचिकाकर्ता की सिफारिश दिनांक 29.11.2016 के पत्र द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को की।

2.3 याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र जारी करने के बजाय प्रतिवादी संख्या 3 ने दिनांक 04.01.2017 को एक नया विज्ञापन जारी किया, जिसमें ग्राम पंचायत भंडार-I में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के उसी पद पर नियुक्ति के लिए पुनः आवेदन आमंत्रित किए गए। इसलिए, यह याचिका।

3. प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से जवाबी हलफनामे में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि चूंकि ग्राम पंचायत ने परिपत्र दिनांक 23.07.2015 (अनुलग्नक आर/1) के खंड 1(ए)(ix) का अनुपालन नहीं किया है, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि चयन सूची तैयार होने के बाद, ग्राम पंचायत द्वारा परिपत्र जारी होने की तिथि से तीन महीने के भीतर इसकी सूचना दी जाएगी।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा मामले की फाइल का अवलोकन किया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष विवाद का सार बहुत ही सीमित दायरे में है, अर्थात क्या याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत की निष्क्रियता के लिए प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं?

5.1 उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक है। कारण तलाशने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए देखें कि कैसे।

5.2 सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि याचिकाकर्ता का मामला और उसके बारे में लिया गया संबंधित रुख रिट याचिका के पैरा संख्या 3 और 4 में दिया गया है और इसी तरह, उस पर दायर संबंधित प्रतिक्रिया भी दी गई है। आसान संदर्भ

(Downloaded on 28/05/2025 at 10:05:28 AM)

के लिए रिट याचिका के पैरा संख्या 3 और 4 और उस पर दायर संबंधित प्रतिक्रिया नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:-

*3. कि याचिकाकर्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए पूरी तरह से योग्य है, उसने इसके लिए आवेदन किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए ग्राम पंचायत की समिति की 28.11.2016 को हुई बैठक के अनुसार कुल 21 उम्मीदवार थे। उस बैठक में, सभी आवेदनों पर विचार किया गया और तीन उम्मीदवारों को योग्य पाया गया। लेकिन नीति के अनुसार, ग्राम पंचायत ने संकल्प लिया कि याचिकाकर्ता योग्य है और उसकी उम्र के आधार पर उसका चयन किया गया है। यह प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा 28.11.2016 की बैठक के प्रस्ताव संख्या 3 में पारित किया गया था। ग्राम पंचायत के 28.11.2016 के संकल्प की एक प्रति यहां प्रस्तुत की गई है और **अनुलग्नक-2** के रूप में अंकित है। याचिकाकर्ता के चयन के बाद, ग्राम पंचायत भंडार ने प्रतिवादीगण संख्या 2 को पत्र दिनांक 29.1.2016 के तहत सिफारिश की और उक्त पत्र की एक प्रति यहां प्रस्तुत की गई है और **अनुलग्नक-3** के रूप में अंकित है।*

*4. कि हालांकि याचिकाकर्ता का चयन किया गया था आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था तथा ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 29.11.2016 को पत्र के माध्यम से उनकी अनुशंसा भी भेजी गई थी, फिर भी याचिकाकर्ता की नियुक्ति नहीं की गई। इसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 ने दिनांक 4.1.2017 को पुनः नया विज्ञापन जारी कर ग्राम पंचायत भंडार-/ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए। दिनांक 4.1.2017 की अधिसूचना की प्रति **अनुलग्नक-4** के रूप में संलग्न है।*

संबंधित प्रतिक्रिया :

3. रिट याचिका के पैरा संख्या 3 में किए गए कथन ग्राम पंचायत भंडार, पंचायत समिति बाली, जिला पाली (प्रतिवादीगण संख्या 5) से संबंधित हैं, इसलिए उत्तर देने वाले प्रतिवादियों की टिप्पणियों की आवश्यकता नहीं है।

(Downloaded on 28/05/2025 at 10:05:28 AM)

हालाँकि, यह प्रस्तुत किया गया है कि न तो दिनांक 29.11.2016 का पत्र, जिसे कथित तौर पर ग्राम पंचायत, भंडार द्वारा भेजा गया था और न ही दिनांक 23.07.2015 के उक्त परिपत्र के खंड 1(ए)(ix) के तहत प्रदान की गई किसी भी प्रकार की सिफारिशें, प्रतिवादी संख्या 4 सी.डी.पी.ओ. बाली को आज तक प्राप्त हुई हैं।

4. रिट याचिका के पैरा सं. 4 में किए गए कथनों को उक्त तरीके से स्वीकार नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि पहले ही कहा गया है कि उक्त परिपत्र दिनांक 23.07.2015 के खंड 1(ए)(ix) में यह प्रावधान है कि दिशानिर्देशों के अनुसार सर्वाधिक योग्य महिला का चयन करने के पश्चात ग्राम सभा उसी दिन विकास अधिकारी और सी.डी.पी.ओ. को प्रस्ताव भेजेगी तथा ग्राम सभा की संस्तुति निर्धारित प्रपत्र अनुलग्नक-सी में आवेदकों के आवेदनों के साथ अनुलग्नक-ए में, आवेदकों की योग्यता का मूल्यांकन अनुलग्नक-बी में ग्राम सभा के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति के साथ भेजी जाएगी। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त परिपत्र दिनांक 23.07.2015 के खंड 1(ए)(x) में यह प्रावधान है कि रिक्त पद को भरने की पूरी प्रक्रिया ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएगी। रिक्त पदों को भरने के लिए जारी अधिसूचना की तारीख से 3 महीने के भीतर आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में कोई सिफारिशें प्राप्त नहीं हुईं और चूंकि आंगनवाड़ी केंद्र भंडार- / में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के उक्त पद को भरने के लिए बैठक आयोजित करने और प्रस्ताव पारित करने के संबंध में कोई सिफारिशें अधिसूचना दिनांक 9.6.2016 अनुलग्नक 1 की तारीख से 3 महीने के भीतर प्राप्त नहीं हुईं, इसलिए, उक्त पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाली नई अधिसूचना उत्तर देने वाले प्रतिवादीगण द्वारा 4.1.2017 अनुलग्नक 4 को जारी की गई है और यह परिपत्र दिनांक 23.7.2015 के प्रावधानों के अनुसार है।

5.3 उपर्युक्त के अवलोकन से इस बात में कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने तीन महीने के भीतर सूची न भेजने का पूरा दोष ग्राम पंचायत पर मढ़ दिया है।

(Downloaded on 28/05/2025 at 10:05:28 AM)

5.4 जहां तक ग्राम पंचायत का सवाल है, यानी प्रतिवादी संख्या 5 ने अवसर दिए जाने के बावजूद कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। इस आधार पर यह मान लेना सुरक्षित होगा कि इसमें निहित तथ्यात्मक कथन ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किए गए हैं।

6. इस आधार पर यह बात सामने आती है कि याचिकाकर्ता की पात्रता और/या अन्यथा योग्य होने के संबंध में कोई विवाद नहीं है। मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता को केवल ग्राम पंचायत की ओर से प्रक्रियागत सहायता और मंत्रिस्तरीय चूक के कारण उसकी योग्यता के प्रदर्शन से वंचित नहीं किया जा सकता।

7. तदनुसार, प्रतिवादियों को यह निर्देश देते हुए रिट याचिका स्वीकार की जाती है कि आज की स्थिति में पद की उपलब्धता के अधीन, याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर 30 दिनों की अवधि के भीतर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। हालांकि, यदि कोई पद उपलब्ध नहीं है, तो भविष्य में उपलब्ध होने वाली अगली रिक्ति पर चयन प्रक्रिया में उसे भाग लिए बिना उसकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा।

8. यह पता चला है कि चयन के समय याचिकाकर्ता की आयु 32 वर्ष थी और रिट कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान वह 35 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा को पार कर चुकी है। चूंकि यह पहले ही माना जा चुका है कि याचिकाकर्ता अपनी नियुक्ति में देरी के लिए जिम्मेदार नहीं है और प्रतिवादीगण स्वयं दोषी हैं, इसलिए इस विशेष आधार पर, यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को इस आदेश के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति के लिए उसकी उम्मीदवारी पर विचार किए जाने पर आयु में छूट दी जाएगी।

(अरुण मोंगा), न्यायाधीश

253-आर माथुर/-

क्या प्रकाशन हेतु उपयुक्त : हां / नहीं

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।

(Downloaded on 28/05/2025 at 10:05:28 AM)

निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

एडवोकेट विष्णु जांगिड़

(Downloaded on 28/05/2025 at 10:05:28 AM)